



शिक्षां विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1980-81

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवरणका

अन्तर्गत विषय	विषय	पृष्ठ
	रिपोर्ट की समीक्षा समालोचना	1—8
1. संपादन सार	10—16	
2. शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	17—20	
3. नियालय शिक्षा	21—28	
4. प्रार्थनियालय शिक्षा	29—32	
5. रिक्षक प्रशिक्षण	33—34	
6. प्रढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा	35—39	
7. महेला शिक्षा	40—42	
8. शिक्षा सुधार कार्यक्रम	43—45	
9. छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	46—49	
10. विविध	50—55	
11. परिशिष्ट 'क'	56—57	
12. परिशिष्ट 'ख'	58—59	
13. परिशिष्ट 'ग'	60—61	

NIEPA DC



104069

Sch. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration

J7-E.S.D.A.

MAY 1982 - 110016

DOC No.

4069

Date

6/12/82

शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1980-81 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 1980-81 में शिक्षा विभाग पिछले वर्षों की भाँति राज्य में शिक्षा में सामान्य रूप से विकास कार्य करता रहा है। शिक्षा के विकास में राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त ब्राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने भी आवश्यक योगदान दिया है। राज्य में लो सम्बन्ध विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक हैं। शिक्षा विभाग सामान्यतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों सम्बन्धित विकास योजनाएं बनाने, उनसे सम्बन्धित कायकमों को कार्यान्वित करने तथा उनके उचित समन्वय का कार्य करता है।

इस अवधि में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई। शिक्षा के स्तर को समूलत करने सम्बन्धी कायकमों पर भी विशेष बल दिया गया। इस विभाग की गतिविधियां को मुख्यतः निम्नलिखित वर्जों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) शिक्षा की विकास योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कायकियों के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना।

(ख) भिन्न-2 वर्गों के शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करने के लिए भिन्न-2 स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविभागीयों का प्रबन्ध करना।

(ग) विश्वविद्यालयों, ब्राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पावता। परखने के पश्चात् अनुदान की राशि स्वीकृत करना।

(घ) स्नात-एवं योग्य निवारियों एवं अनुसूचित जातियों/पिछड़ दर्ग के छात्रों को छान्तवृत्तियां, वजीफों एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना।

(ङ) पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तकाओं का उपलब्ध करना।

(च) अन्य कार्यक्रम

(क) शिक्षा का विकास, योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कायकियों

के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वयन करता।

1. बजट

रिपोर्टरीस्ट अवधि में शिक्षा विभाग का कुल बजट (संगोष्ठीकृत अनुमान) 6603.71 लाख रुपये था जिसमें प्रोजेक्ट पर 5897.67 लाख रुपये और प्रोजेक्ट स्तर पर 706.04 लाख रुपये था।

2. स्कूलों का बोलना और स्तर का बढ़ाना

इस अवधि में सरकार द्वारा 151 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक किया गया, 102 माध्यमिक स्कूलों को बढ़ाकर उच्च किया गया और चार नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

3. छात्र संख्या

स्कूल शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का कुल संख्या वर्ष 1980-81 में 19.00 लाख थी। जिसमें से नड़के 13.10 लाख और लड़कियां 5.90 लाख थीं। उनमें प्री-प्राईमरी/प्राईमरी स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12.46 लाख, माध्यमिक स्तर पर 4.77 लाख तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1.77 लाख रही। पिछले वर्षों की उपेक्षा रिपोर्टरीन वर्ष में स्कूल के हर शिक्षा स्तर पर छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा स्तर पर 83782 छात्रों ने राज्य के भिन्न-2 उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की। पिछले से 22349 ने राजकीय महाविद्यालयों में 57407 अराजकीय महाविद्यालयों में 3919 ने विश्वविद्यालय के टाचिंग विभागों में शिक्षा प्राप्त की।

4. अध्यापक

शिक्षा के साथ साथ भिन्न-2 संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्टरीन अवधि में भिन्न-2 वर्गों के स्कूलों में 30.9.80 को 55548 अध्यापक थे। उच्च शिक्षा संस्थाओं में (महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों) शिक्षकों की संख्या 3708 थी।

5. प्राथमिक शिक्षा का विकास

राज्य में 6-11 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिये विशेष पर्याप्ताएं थे। जिनमें प्राथमिक स्तराय ड्राप-आउटस के लिये रिपोर्टरीन अवधि में

3074 अनीपत्तारिक शिक्षा केन्द्र क्रियाशील थे, जिनमें 72761 बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देकर मालार बनाया गया। प्राथमिक कक्षाओं में पहले वासी 40,000 लूरिङ छात्राओं का 10 लाख रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये स्वीकृत्यांक छात्रवृत्ति दी गई। इसके अतिरिक्त 1000 प्राथमिक स्कूलों में 300 स्थाय प्राथमिक स्कूल की दर से 3.00 लाख रुपये की राशि खेल कूद तथा मनोरंजन की मामली जुटाने हेतु और प्राथमिक स्कूलों के खेलों के मैदान के विकास के लिए प्रदान की गई।

६. उच्च शिक्षा का विकास

इन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 थी जिनमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाने महाविद्यालयों की संख्या 25 थी। रिपोर्टरीन अवधि में सरकार ने 3 आराजकाय महाविद्यालयों को अपने अधीन लिया।

७. भवनों की मुरम्मत/निर्माण

रिपोर्टरीन अवधि में सरकार ने आदमपुर (हिसार) में नया कालिज खोलने हेतु भवन निर्माणार्थ 1,34,88,000 रुपये की लागत के प्लान/अनुमान की स्वीकृति जाना की है।

210 प्राप्त 0 जगाधरी तथा यमुनानगर के नये भवन निर्माण के लिये 23,19 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त 20 को उच्च विद्यालय दोड़न के भवन निर्माण के लिये 5.63 लाख रुपये की राशि ज्यय की गई। विभिन्न स्कूलों में 87 फमरों के नियोग के लिये 42 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई।

स्कूलों के भवनों की मुरम्मत के लिये वर्ष 1980-81 में 110 करोड़ रुपये की राशि के 200 अनुयानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

८. प्रौढ़ शिक्षा

रिपोर्टरीन अवधि में राज्य में 3394 पौढ़ शिक्षा केन्द्र कायशाल थे जिनमें म 100। साहित्य 6 वा। इन पौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 76175 प्राइडों ने शिक्षा प्राप्त की जिसमें 35364 प्रथम तथा 4081 महिलायें हैं।

(ब) भिन्न-भिन्न वर्ग के शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण को सुविधाये उपलब्ध करना ।

रिपोर्टरीन अवधि में डिग्लोमा-इन-एजूकेशन की कक्षाओं का दाखिला सरकार द्वारा पिछले वर्षों की भाँति बहु रहा क्योंकि प्राइमरी कक्षाओं को पछाने के लिए पहले ही काफी अध्यापक बेरोजगार थे । हिन्दी तथा संस्कृत औ टी. की कक्षायें गा. प्रशिक्षण महाविद्यालय भिवानी तथा हिन्दी एवं पंजाबी ओ. टी. की कक्षायें गा. जे. बी. टी. स्कूल नागरणगढ़ में आरम्भ की गई । अध्यापकों की व्यवसायिक वक्षतर का बढ़ाने के लिए तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए 4000 प्राथमिक अध्यापकों, 1200 माध्यमिक अध्यापकों को सेवा कार्यालय प्रशिक्षण दिया गया । इसके आंतरिक 50 शिक्षा अधिकारियों, 700 मुख्य अध्यापकों/मुख्यअध्यापिकाओं एवं प्रधानाचार्यों तथा 94 खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया ।

ग. विश्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान

रिपोर्टरीन अवधि में विश्वविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों तथा अराजकीय विद्यालयों में शिक्षा के कार्य को सुचारू रूप से नवाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुदान (विकास एवं संरक्षण अनुदान) दिये गए ।—

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	214.30 लाख रुपये
महाराष्ट्र विद्यानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	285.98 लाख रुपये
अराजकीय महाविद्यालय	248.15 लाख रुपये
अराजकीय विद्यालय	144.11 लाख रुपये

इसके आंतरिक अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अराजकीय महाविद्यालयों का घाटे की 76 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में ही गई ।

(इ) छात्रवृत्तियाँ

रिपोर्टर्डीन अवधि में विद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न स्तरों के अन्तर्गत दी गई।—

1 भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 1120 योग्य छात्रों को 10.20 लाख रुपये की राशि की छात्रवृत्तियाँ दी गई।

2 750 योग्य हरियाणवी छात्रों को मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने वालों के लिए 4.29 लाख रुपये की राशि की छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकार द्वारा दी गई।

3 सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 603 हरियाणवी छात्रों को 23.31 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

4 भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 258 छात्रों को 1.90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

5 उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 1518 छात्रों को 15/- रुपये मासिक दर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 2014 छात्रों को 10/- रुपये मासिक दर से योग्यता छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई।

6 उपरोक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त राज्य हरिजन कल्याण योजना अन्तर्गत स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गे के बच्चों को नौवीं, दसवीं तथा ग्राहरवीं कक्षाओं में 16/- रुपये प्रति मास की दर से वर्जीफे/छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई। महाविद्यालय स्तर इन छात्रों को भिन्न-भिन्न कोर्सों/कक्षाओं में 30/- रुपये तथा 70/- रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियाँ तथा वर्जीफे दिये गए। इन वर्जीफों के लिए 71.68 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं में अनुशूचित जातियों के छात्रों को भिन्न भिन्न कक्षाओं/कोर्सों के लिए 40/- रुपये की दर से 200/- रुपये की दर तक प्रति मास वर्जीफे इत्यादि भी दिये गए। यद् वर्जीफे/छात्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर दी जाती हैं। रिपोर्टर्डीन अवधि में 41.45 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। अम्बवाळ व्यवसाय में जगे गेर अनुशूचित जातियों के प्रत्येक छात्र को मैट्रिक रुपयान्त छात्रवृत्ति दी गई। तेजग भावा पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु 10/- रुपये प्रति भाग की दर से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई।

(इ) पाठ्यक्रम पुस्तकों तथा अध्यास पुस्तकाओं का उपलब्ध करना

पिछले बर्षों की भारतीय रिपोर्टरीज़ अधिकृत में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पुस्तकों तथा अध्यास पुस्तकाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु विशेष पर्याम उठाये गए। वर्ष 1980-81 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को जहर के आधार पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 20.50 लाख रु. की राशि की रूपये पुस्तकें स्थापित थुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ाई है। नई नव्या 11.70 लाख रुपये के मूल्य की लेखन ज्ञानग्राही पहली से ग्याहरबी तक के अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों तथा सभी वर्गों की लड़कियों को निषुल्क वितरण की गई।

(छ) 10+2+3 शिक्षा पढ़ति

शिक्षा का यह नव्या शैक्षणिक ढांचा हरियाणा राज्य में अभी लागू नहीं किया गया है। यह ढांचा अभी सरकार के विवाराधीन है। इग ढांचे को लागू करने के लिए माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की प्रशोग्नालालों को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1977-78 से 60.30 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति भरी आ रही है। इस नई पढ़ति के लिए सभी जिलों का व्यवसायिक सर्वेक्षण विया गया है। यह सर्वेक्षण कार्य सभी जिलों का पूर्ण हो चुका है तथा इसकी रिपोर्ट एस. सी. ई. आर.टी. गुडमांड में तैयार की जा रही है। वैसे 21 जून 1981 को नई दिल्ली में राज्य तथा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा मन्त्रियों की बैठक में हरियाणा राज्य ने इस नई पढ़ति को 1982 से लागू करने का नियंत्रण लिया है तथा पढ़ति को लागू करने के लिए पर्याम उठाने आरम्भ कर दिये हैं।

(छ) शान्ति कार्यक्रम

- केवर फिलिंग प्रोग्राम :- संघीयता भाजन का लाभ रिपोर्टरीज़ अधिकृत में 4.23 लाख बच्चों को उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम पर शिक्षा विभाग ने 40.35 लाख रुपये की राशि खर्च की। अरोड़ा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रति दिन पंचोरी तैयार करके रक्कों में बाटने के लिए भेजी गई। इस किचन के खर्च के लिए सरकार द्वारा 13.76 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

२. खेल कूद एवं कार्यात्मक कार्यों में उपलब्धियाँ

अन्तर्राजीय श्रीतकालीन प्रतियोगियों में राज्य के छात्र/छात्राओं ने 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक तथा 1 कांसा पदक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त गिनी नेशनल ऐम्ज में भी इस राज्य के छात्रों द्वारा 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक तथा 1 कांसा पदक प्राप्त किया।

३. अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष

रिपोर्टरीयन अवधि में विपदाग्रन्थ अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता के रूप में इस काष मे 2.02 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

१. एन. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु 102 शिविर लगाए गए जिनमें 7000 छात्रों ने भाग लिया।

५. हरिजन छात्रों के लिए विशेष सुविधाएँ

३६२३३ हरिजन छात्राओं को ३०/- रुपये प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दियाँ देने के लिए 7.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

६. कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

भारतीयता ऐसा होता है कि कक्षा में कृषि विद्यार्थी पढ़ाई में लीवर होने है तथा कुप्रभावी मध्यम होने है। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो अलग-अलग नैक्षण बना ले तथा उन नैक्षणों का इस तरह बनाएं कि नीव बुद्धि के बच्चे। कि नैक्षण में आ जाएं तथा मध्य बुद्धि के बच्चे दूसरे नैक्षण में आ जाएं और जिस शिक्षक के पास मंद बुद्धि वाले बच्चे हों उसके पाण्याम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए। कि वह कमजोर नैक्षण पढ़ा रखा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा निति अपनाई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बद्धि। फल न किया जाए तथा तीसरी तथा चौदही की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुगाम कार्यवाही की जाए।

रिपोर्टरीन अवधि में शिक्षा विभाग श्री मती शाति राठी मुख्य संसदीय सचिव , के पास रहा । शिक्षा युक्त एवं सचिव के पद पर श्री जे.डी.गुप्ता आई.ए.एस. ने कार्य किया । संयुक्त सचिव के पद पर श्री मती सुशील ढोगरा ने कार्य किया । निदेशक के पद पर श्रीगती प्रोमीला ईसर आई.ए.एस. महोदया ने कार्य किया तथा निदेशक स्कूल शिक्षा के पद पर श्री नसीम अहमद से कार्य किया । 13-1-81 से निदेशक के पद पर श्री एन.एम.जैन, आई.ए.एस. ने कार्य किया तथा निदेशक स्कूल शिक्षा के पद पर श्री प.स.पी.मित्तल आई.ए.एस. ने 1-11-81 से कार्य किया ।

प्रशान्ननिक रिपोर्ट वर्ष 1980-81 पर समालोचना

राज्य के शिक्षा क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। प्राइमरी, मिडल तथा उच्च/उच्चतर पत्र पर छात्रों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। शिक्षा सुविधाओं में और निस्तार करने के लिए 4 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 1.1 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 102 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया है। अध्यापकों की व्यवस्थायिक बढ़ता बढ़ाने तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए 4000 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 1200 माध्यमिक अध्यापकों को भिन्न-भिन्न क्रियों में सेवाकालोन प्रशिक्षण दिया गया। मध्याहन भोजन का लाभ 4.23 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया।

2. स्कूलों के भवनों की मुरम्भत के लिए 1.10 करोड़ रुपए की राशि के 200 अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अराजकीय महाविद्यालयों को घाट की 75% राशि जोकि 257.52 लाख रुपए अनुदान के रूप में दी गई।

3. एपोटधीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 (98 सामान्य शिक्षाव 20 प्रशिक्षण) थी। इस अवधि में तीन महाविद्यालयों को सरकार द्वारा अपने नियन्वण में लिया गया है। राजकीय महाविद्यालयों के कार्यभार के आधार पर सरकार ने 30 प्राध्यापकों के अंतरिक्त पद सृजन किए गए। विश्वविद्यालयों को दिन प्रतिदिन के खर्च हेतु तथा विकास कार्यों के लिए 500.28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

4. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। इस वर्ष 92 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की वृद्धि हुई है, इस प्रकार वर्ष 1980-81 में 3394 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे थे जिन में से 1911 केन्द्र महिलाओं के लिए थे। इन केन्द्रों में 76175 प्रौढ़ों ने शिक्षा प्राप्त की, जिनमें से 35364 पुरुष तथा 40811 महिलाएं थीं।

5. युवा के क्षेत्र में भी अन्तर राजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के आम/शालाओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण 6, रजत 7 तथा कांस्य 5 पदक प्राप्त किए।

“सामान्य सार”

1. 1 प्रस्तुत शिक्षा विभाग की प्रशासकीय रिपोर्ट वर्ष 1980-81 की शिक्षा की गतिविधियों से मन्वान्धन है।

1. 2 सितम्बर 1980 में हारियाणा में स्थित भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में छड़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही—

संस्था का प्रकार	संस्था की संख्या	छात्रों की संख्या	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
पूर्व प्रार्थमिक पाठ्यालाये/ बाल वार्ड्ज	27	684	505	1189	
प्राथमिक पाठ्यालाये	4934	387491	209352	596843	
माध्यमिक पाठ्यालाये	881	205067	90960	296027	
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यालाये।	1473	718831	291405	1010236	
आरोरिक; शिक्ष महाविद्यालय	1	97	10	108	
गहाविद्यालय	118	54794	24962	79756	
विष्वविद्यालय	2	2898	1021	3919	

स्तर अनुसार स्थान संख्या

१. : गज्य में सितम्बर 1980 में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही थी।

शिक्षा का स्तर	स्थानों की संख्या		
स्कूल स्तर	नड़के	लड़कियाँ	जोड़
प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवीं)	822640	422847	1245487
माध्यमिक स्तर (छठी से आठवीं)	351514	125778	477292
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (नौवीं से घाहरवीं)	135398	41443	176841
कुल संख्या	1309552	590068	1899620

उच्च शिक्षा स्तर	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
प्री-प्रार्निवार्गिटी	21274	6503	27777
तीन वर्गीय डीग्री कोस	30964	14449	45413
एम.ए./एम.एम.सी./एम.काम	2237	1493	3730
बी.ए. / एम.एव.	1040	2326	3366
पी.एच.डी./एम.फिल.	273	138	411
अन्य	1904	1074	2978
जोड़	57602	25983	83675

शिक्षकों की संख्या

1. 4 हरियाणा राज्य में कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या स्कूल अनुसार इस प्रकार रही ।

(क) स्कूल स्तर	पुरुष	महिला	जोड़
प्री-प्राइमरी स्कूल	2	34	36
प्राथमिक स्कूल	10493	4587	15080
माध्यमिक स्कूल	5882	2851	8733
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	21889	9810	31699
जोड़	38266	17282	55548

इन अध्यापकों में से 5068 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं ।

(ख) उच्च शिक्षा स्तर	पुरुष	महिला	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	895	298	1193
अराजकीय महाविद्यालय	1516	632	2148
शासीचिक शिक्षा महाविद्यालय	11	2	13
विश्वविद्यालय	314	40	354
जोड़	2736	972	3708

1. 5 शिक्षा विभाग का त्रै 1980-81 का बजट (संशोधित अनुमान) ।
अनुमार इस प्रकार था ।

(क) प्रश्नका व्याय

मद	योजनेतर	योजना	कुल
उच्च शिक्षा (कालेज शिक्षा)	751.10	260.89	1011.99
माध्यमिक शिक्षा	2524.02	198.13	2722.15
प्राथमिक शिक्षा	2293.41	157.16	2450.57
विशेष शिक्षा (स्पैशल)	24.90	46.52	71.42
एन सी सी	63.60	32.25	95.85
विविध	45.18	3.92	49.10
जोड़	5702.21	698.87	6401.08

(ख) परोक्ष व्याय

1. निर्देशन	54.40	3.12	57.52
2. इंगेंयरिंग	141.06	4.05	145.11
जोड़	195.46	7.17	202.63

जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष व्याय	5897.67	706.04	6603.71
---------------------------------	---------	--------	---------

महाविद्यालय शिक्षा

1.6 इस वार्ष कोई नया राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया। परन्तु पुरावार हारा तीन अराजकीय महाविद्यालय को अपने नियन्त्रण में लिया गया।

उल्लंघन एवं प्रशासन

1.7 राज्य के सभी 12 जिलों में शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं जो अपने

अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य शिक्षा सम्बन्धी नियतियों को कार्यान्वित करते हैं।

भाषाई अल्प संख्यकों को सुविधायें

1.8 हरियाणा राज्य में भाषाई अल्प संख्यकों को, राज्य गरकार द्वारा, अपनी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा नामी रखी गई है। यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक बच्चों अपनी भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हों तो उनको उस भाषा को पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाता है।

नए स्कूलों का खोलना तथा स्कूलों का स्तर बढ़ाना।

1.9 इस अवधि में चार नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए। इसके अतिरिक्त 151 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 102 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया गया।

छात्र कल्याण कार्यक्रम

1.10 यह वर्ष की भाँति इस वर्ष में भी स्नातकार्सों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाया गया। विद्यार्थियों को नियंत्रित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य के महाविद्यालय, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के सभी छात्रावार्मा को निकट सहकारी उपभोक्ता स्तोरों से सम्बन्ध रखा गया ताकि उनको बिना कठिनाई सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती रहें।

छात्रों को पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध करना।

1.11 वर्ष 1980-81 में अनुसूचित जातियां तथा वीचत वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करने हेतु 6949 बुक-बैंकों का सुदृढ़ करन के लिए 20,50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अंतर्राष्ट्रीय 11,710 लाख रुपये के मूलग की लखन सामग्री पहली से ग्राहकर्ता तक के अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों तथा सभी वर्गी की लड़कियों को निश्चक वितरित की गई।

हरिजन छात्राओं को विशेष सुविधाएँ

1.12 (क) पहली से पांचवीं तक की 26233 छात्राओं को 30/- रुपये प्रति छात्र की दर से मुफ्त वाद्या देने के लिए 7.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ख) पहली से पांचवीं कक्षा तक की 40,000 छात्राओं के लिए 120/- रु. प्रति छात्र की दर से उपस्थिति छावनी के लिए 48.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ग) नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं की 150 छात्राओं को क्रमशः 20/- 25/- ह. तथा 30/- रुपये प्रति मास की दर से योग्यता छावनी दी गई।

अध्याय 2

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

2.1 वर्ष 1980—81 में शिक्षा विभाग श्रीमती शांति राठी मुख्य मंसदीय गविन्द के पास रहा।

'क' गविन्दालय स्तर पर

शिक्षायकत एवं गविन्द के पद पर श्री जे. डो. गुप्ता ने कार्य किया। मंयुक्त गविन्द के पद पर श्रीमती सुशील डोगरा ने कार्य किया। उगरोक्त सभी अधिकारी आई. ए.एस. केडर के हैं। अवर सचिव के पद पर श्री के. जी. वालिया एच. एस. एग. ने कार्य किया।

'छ' निवेशालय स्तर

रिपोर्टरीन वर्ष में निवेशक शिक्षा के पद पर श्रीगती प्रामीला ईसर आई. ए.एस. ने कार्य किया तथा वर्ष के अन्त में 13.1.81 से श्री एल.एम. जैन. आई. ए.एस. ने कार्य किया। पिछले वर्षों से शिक्षा में विशेष विकास हुआ जिसके कारण हर स्तर पर शिक्षा प्रणासनिक भूविधा को ध्यान में रखते हुए निवेशालय के स्कूल तथा कानिज शिक्षा के कार्य को वर्ष में 1979-80 में फैज़ब्र प्रोग्राम में अन्तर्ग-2 करने का निर्णय लिया गया जिके अनुसार अतिरिक्त निवेशक के पद को निवेशक (स्कूल) का पद बना लिया गया था तथा इस पर रिपोर्टरीन अवधि में श्री नसीम अहमद आई.ए.एस. ने कार्य किया तथा वर्ष के अंत में 1.1.81 से श्री एस. पी. मित्तल. आई.ए.एस. ने कार्य किया। इसी प्रकार निवेशालय स्तर पर निम्नालिखित पदों पर अन्य नियक्त अधिकारियाँ ने कार्य को मुकाबल स्पष्ट से चलाने के लिए निवेशक शिक्षा विभाग तथा निवेशक स्कूल शिक्षा को सहयोग दिया।

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. संयुक्त निवेशक स्कूल | एच.सी.एस. |
| 2. निवेशक रिपोर्टरीन कन्द्र | एच.ई.एस. |
| 3. संयुक्त निवेशक प्रौढ़ शिक्षा | -सम- |

4.	संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	-सम-
5.	उप निदेशक महाविद्यालय	सम-
6.	उप निदेशक स्कूल-I	-सम-
7.	उप निदेशक स्कूल-II	-सम-
8.	उप निदेशक स्कूल-III	-सम-
9.	उप निदेशक योजना	-सम-
10.	उप निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	-सम-
11.	अध्यक्ष अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	एच.ई.एस.
12.	प्रशासन अधिकारी	एच.एस.एस.
13.	सहायक निदेशक महाविद्यालय	एच.ई.एस.
14.	सहायक निदेशक विद्यालय-I	-सम-
15.	सहायक निदेशक विद्यालय-II	-सम-
16.	सहायक निदेशक विद्यालय-III	-सम-
17.	सहायक निदेशक अध्यापक प्राशक्षण	-सम-
18.	सम- परीक्षा	-सम-
19.	सम- एन सी.सी.	-सम-
20.	सम- ओकड़ा	-सम-
21.	अनुसंधान अधिकारी-[-सम-
22.	अनुसंधान अधिकारी-]I	-सम-
23.	अनुसंधान अधिकारी-]II	-सम-

24. अनुमंधान अधिकारी-।

-सम-

25. सहायक निदेशक प्रोड शिक्षा-।

26. गहायक निदेशक प्रोड शिक्षा-॥

27. लेखा अधिकारी विद्यालय

28. लेखा अधिकारी महाविद्यालय

29. रजिस्ट्रार शिक्षा

30. बजट अधिकारी

जिला प्रशासन

2.2. राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा का विकास प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं। जिले में शिक्षा के विकास कार्य को मुचारू रूप से चलाने के लिए सभी उपमण्डलों में उमाइल शिक्षा अधिकारी हैं। उपमण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उपमण्डलों में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरवारी है।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी सांचगां के अनुसार भविष्य में व्यवसाय परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है। यह अधिकारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को भिन्न-2 व्यवसायों के बारे में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण की उपलब्ध मुक्तिधार्यों के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है।

इसी तरह राज्य के प्रत्येक जिले में प्रोड शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियन्त्रण के लिए जिला प्रोड शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं।

दिनांक 31-3-80 की रियात अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्लौरा परिशिष्ट “क” तथा “ख” में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों को सूचि परिशिष्ट “ग” में दी गई है।

खण्ड स्तर पर

2.3. राज्य में स्थित सभी 4934 प्रार्थामिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रश्नागत सुविधा के लिए । । ।, शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-2 खण्ड में स्थित प्रार्थामिक शिक्षा के विकास तथा प्रार्थामिक विद्यालयों का सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी है।

राजकीय विद्यालय

2.4. सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों वा प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-2 विद्यालयों में विद्यार्थियों का सुचारू रूप से शिक्षा देने में तथा उनके शैक्षणिक मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

अराजकीय विद्यालय

2.5. अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है यह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

2.6. राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारू प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए निदेशक शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं परन्तु ऐर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियाँ ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनको वित्तीय सहायता “साधारण तथा विकास अनुदान” के रूप में प्रत्येक तर्फ देती है।

प्राच्याम 3

विद्यालय शिक्षा

3.1. देश में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति लाने में शिक्षा का प्रह्लापण स्थान है। इस तथ्य को ध्यान में रखने हुए हरियाणा राज्य में विद्यालय शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

3.2. इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निश्चल शिक्षा दी जाती है। 8 से 11 वर्ष की आयु के अधिकार में अधिक बच्चों को स्कूलों में नाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1980-81 में इस के प्रचार/प्रसार पर 1,39 लाख रुपये खर्च किये। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 26,233 हरिजन छात्राओं को 30 रुपये प्रति छात्रा की दर से 7.87 लाख रुपये की राशि की मूफ़त वर्दियां प्रदान की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40,000 हरिजन छात्राओं को 10 रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये की उपरिधि छात्रवृत्ति दी गई।

शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

3.3. रिपोर्टधीन वर्ष में शिक्षा युविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 1980-81 में 151 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 102 माध्यमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। इसके अतिरिक्त रिपोर्टधीन अवधि में 4 नई प्राथमिक स्कूल खोले गये।

दिनांक 30-9-80 को हरियाणा में सरकारी तथा गैर सरकारी भवित्वालयों

की संख्या निम्न प्रकार थी :—

क्रम संख्या	सरकारी	गैर सरकारी	जोड़
1. पूर्वे प्राथमिक विद्यालय/बाल-वाडिज	27	—	27
2. प्राथमिक विद्यालय	4869	65	4934
3. माध्यमिक विद्यालय	848	33	881
4. उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1226	247	1473

प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान करना

3.4. गिपोटधीन अवधि में नियन्त्रित स्कूलों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई :—

1. दयानन्द पर्सिलक हाई स्कूल 5ई/45 फरीदाबाद ।

2. राजा राम की ३० त्रिमणी डनवाली सिरसा ।

3. दयानन्द पर्सिलक हाई स्कूल ३ई/64 फरीदाबाद ।

4. नाल भारती विद्यालय बहादुरगढ़ ।

5. आर्य ३० त्रिमणी पटेलनगर, हिमार ।

इसके अतिरिक्त डी०ए०वी०१० हाई स्कूल रुद्रगुप्त (अम्बाला) तथा एस०ग०जन माझल स्कूल (अम्बाला) का अस्थाई मान्यता प्रदान की गई ।

बालवाडियों की स्थापना

3.5. समाज के गिछड़े विवं श्रीबोगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए 3 से 6 वर्षों के बच्चों की देख रेख विवं उनके लिए शिक्षा संविधायें उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 20 बालवाडिया चल रही हैं। इन बालवाडियों के अतिरिक्त राज्य में कुछ अग्रजकीय पाठ्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ नवीरी तथा प्री-प्राइमरी श्रेणियां भी संन्यान हैं। इन श्रेणियों में भी 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्राद्व संख्या

3.6 वर्ष 1980-81 में स्कूलों में भिन्न-2 स्तरों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही :—

शिक्षा का स्तर	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
प्रार्थमिक स्तर	822640	422847	1245487
माध्यमिक स्तर	351514	125778	477292
उच्चाउच्चतर माध्यमिक स्तर	135398	41443	176841

अध्यापक

3.7. वर्ष 1980-81 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिए निम्न लिखित अमला भी स्वीकृत किया गया :—

मुख्याध्यापक	102
मास्टर/मिस्ट्रीसिज	355
पी० टी० आई०	102
सी० एण्ड वी०	151
जे० बी० टी०	151
त्रिंगिक वर्ग	102
चतुर्थ श्रेणी	355

वर्ष 1980-81 में संस्कृत अध्यापकों के 250 पद स्वीकृत करवाये गये थे ताकि उच्चतर शिक्षा को कथित विषय में प्रोत्ताहन दिया जा सके। वर्ष 1980-81 में

हरियाणा राज्य के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षकों की संख्या इस प्रकार चल रही है :—

शिक्षा का स्तर	पुरुष	महिलायें	जोड़
प्री-प्राइमरी स्कूल	2	34	36
प्राथमिक स्कूल	10493	4587	15080
माध्यमिक स्कूल	5882	2851	8733
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	21889	9810	31699
कुल जोड़	38266	17282	55548

हरियाणा राज्य में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं। राज्य में केवल 228 अध्यापक एवं से हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। उपरोक्त अध्यापकों में से 50480 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 5068 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक छात्र अनुपात

3.8 रिपोर्टद्वारा अवधि में स्कूल शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर नथा भिन्न-2 वर्गों के स्तरों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा :—

स्तर अनुसार	स्कूल अनुसार
प्राथमिक स्तर	(1-5) 1 : 11 प्राथमिक स्कूल (1-5) 1 : 40
माध्यमिक स्तर	(6-8) 1 : 32 माध्यमिक स्कूल (1-8) 1 : 34
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (9-11) 1 : 16	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (1-11) 1 : 32

प्रौढ़ी पाठी प्रणाली

3.9. भिन्न-2 विद्यालयों के भवनों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों

के बैठने के लिए स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में बोहरी पारी प्रणाली आपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम है।

सह शिक्षा की नीति

3.10. ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक नथा उच्च विद्यालय नहीं है वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की मुश्विधा उपलब्ध की गई है। 4934 प्राथमिक विद्यालयों में से 223 विद्यालय केवल कन्याओं के लिए हैं शेष सभी विद्यालयों में सह शिक्षा है।

तेलगू भाषा की शिक्षा

3.11. हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की मुश्विधा राज्य के 52 विद्यालयों में है।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

3.12. हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप में पढ़ते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है।

विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह स्टी कक्षा में आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अंतिरिक्त तेलगू भाषा की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें आपनी भाषा के अध्ययन करने की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या स्कूल में 10 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्ध रखते हों तो वह आपनी भाषा को राज्य भाषा के अन्तर्गत ॥क विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए भरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने के लिए सुविधा प्रवान करती है। 10 अराजकीय विद्यालयों को जिनमें हरियाणा बाने के

समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए विशेष अनुमति दे रखी है।

भागा अल्पसंख्यकों को विशेष मुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में मताह देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भागाई शिक्षा समर्ति का गठन भी किया हुआ है।

शिक्षा पद्धति 10+2+3 को लागू करना

3.13 शिक्षा का यह नया शैक्षणिक ढांचा हरियाणा राज्य में अभी लागू नहीं किया गया है। यह ढांचा अभी सरकार के विचाराधीन है। इस ढांचे को लागू करने के लिए माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की पयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1977-78 से 60.30 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति चली आ रही है। इस नई पद्धति के लिए सभी जिलों का व्यवसायिक सर्वेक्षण किया गया है। यह सर्वेक्षण कार्य सभी जिलों का पूर्ण हो चुका है तथा इसकी रिपोर्ट एस. सी. ई. आर.टी.में तैयार की जा रही है।

वैसे 21 जून, 1981 को नई देहली में राज्यों तथा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हरियाणा राज्य ने इस नई पद्धति को 1982 से लागू करने का निर्णय लिया है तथा पद्धति को लागू करने के लिए पर उठाने आरम्भ कर दिये हैं।

परीक्षा परिणाम

3.14 अठवीं, दसवीं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष 1980-81 में अठवीं कक्षा में 138604 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, जिनमें से 56.43 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 19153 विद्यार्थी प्राईवेट आधार पर परीक्षा में बैठे, जिनमें से 46.96 प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित हुए।

दसवीं कक्षा की परीक्षा में 82656 विद्यार्थी नियमित तौर पर बैठे, जिनमें से 68.43 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए तथा 20606 विद्यार्थी प्राईवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 33.43 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परिणाम 49.46 पास प्रतिशत रहा।

अराजकीय विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लेना

3. 15 रिपोर्टधीन अवधि में निम्न स्कूलों को सरकार ने अपने जमीन दिया

1. पश्चिमक हाई स्कूल, जुआं (सोनीपत)
2. आदिश हाई स्कूल, हनुलालपुर (सोनीपत)
3. बी. बी. आर. हाई स्कूल, सिडारीली (गुडगांव)
4. एन. आर. हाई स्कूल, पटिकडा (नारनील)
5. डी. ए. बी. हाई स्कूल, भाबेवा (जीव)
6. सर्वादिय हाई स्कूल, पातली स्टेशन (गुडगांव)
7. सरसवनी हाई स्कूल, बलाही (कुरुक्षेत्र)

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

3. 16 पूर्व वर्षों की भाँति वर्ष 1980--81 में भी अराजकीय विद्यालयों को निम्नलिखित अनुसार अनुदान दिया गया :—

	लाख रुपयों में
प्रार्थामिक/माध्यार्थिक विद्यालय	24.17
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	57.97
स्थानीय विकास केंट बोर्ड पाइमरी	0.20
मंस्कुत विद्यालय गुरुकुल	0.87
हरियाणा साकेत कौसिल चाण्डीमान्दर	0.68
हरियाणा वैलफ्रेयर सोसायटी फार ईफ एण्ड बाबू बण्डीह को गुडगांव केन्द्र के लिए	0.00
गांधी इन्स्टीच्यूट आफ रटग ज नाराणमी	—

उगारोकत अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों को उपकरणों के खरीदने के लिए 500/- रुपये प्रति स्कूल की दर से 5000/- रुपये की राशि का उआकरण अनुदान भी दिया गया ।

अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को धाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में भी दी गई । इसके अंतर्गत रिपोर्ट-धोन अवधि में अराजकीय विद्यालयों का कोठारी पाँट स्कीम के अन्तर्गत 59.27 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

अध्याय चौथा

“महाविद्यालय शिक्षा”

महाविद्यालयों की संख्या

4.1 स्थोराधीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 थी, जिसमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य में प्रशासनिक प्रबन्ध अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार रही है :—

राज्य सरकार द्वारा	प्राईवेट बाड़ीज द्वारा	विश्वविद्यालय द्वारा	जोड़
25	89	4	118

गंरु सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लेना

4.2 वर्ष 1980-81 में निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके सम्पूर्ण लिखी तिथि से राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया :—

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. के०ए० कालिज, जटीली, हेली मण्डी | 3-4-80 |
| 2. बी०बी० आर० कालिज, सिद्धारोली | 11-2-81 |
| 3. एच० डब्ल्य० एम० एम० कालिज, गोहाना | 12-2-81 |

राजकीय महाविद्यालयों में नए विषयों/कक्षाओं को चालू करना

4.3 वर्ष 1980-81 में उच्च शिक्षा मुविधाओं के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालय को उनके सम्पूर्ण तिरंगे गए निम्नलिखित विषयों को कक्षाएं

आरम्भ की गई :—

महाविद्यालयों के नाम	विषय तथा कक्षाएं
1. राजकीय महाविद्यालय जीद	अंग्रेजी (एम० ए० भाग-१)
2. राजकीय महाविद्यालय हिसार	अंग्रेजी (एम० ए० भाग-१)
3. राजकीय महाविद्यालय महेन्द्रगढ़	हिन्दी (एम० ए० भाग-१) क्रषि (प्रैप)
4. राजकीय महाविद्यालय कालका	होमसाईंस, पंजाबी तथा कामर्स (प्रैप, टी० डी० सी० भाग-१)
5. राजकीय महाविद्यालय बहादुरगढ़	कामर्स (प्रैप, टी० डी० सी० भाग-१)
6. राजकीय माहला महाविद्यालय रोहतक	बी० एम० सी० (मैडिकल) (टी० डी० सी० भाग-१)
7. राजकीय महाविद्यालय करनाल	मिलट्री साईंस तथा साईंकालोजी (टी० डी० सी० भाग-१)

प्राध्यापकों के अतिरिक्त पदों की सूचन

4.4 राजकीय महाविद्यालयों में कार्यभार के आधार पर सरकार ने वर्ष 1980-81 में 30 प्राध्यापकों के अग्रिमत पद सूचन किये गए हैं :—

आराजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान

4.5 राज्य के अग्रजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 1980-81 में भिन्न-भिन्न गोजनाओं के अन्तर्गत निम्ननिम्नत अनुदान दिये गए :—

(रुपये लाखों में)

1. य० जी० सी० (1-11-66) संशोधित वेतनमानों के कारण	15. 37
2. य० जी० सी० (1-11-73) पंशोधित वेतनमानों के कारण	39. 17
3. अनुरक्षण अनुबान	175. 38

(रुपये लाखों में)

4. विकास अनुदान	12.50
5. सौशल अनुस्थाण अनुदान	1.00
6. तबर्थ अनुदान	4.59
7. डी० पी० (अतिरिक्त अनुदान)	0.05
8. मैचिंग ग्रॉट	0.09

4.6 विश्वविद्यालयों को दिन प्रतिदिन के खर्चे हेतु नथा विकास कार्यों के लिए वर्ष 1980-81 में 500.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसका द्यौरा निम्न प्रकार है :—

	योजनेतार	योजनागत
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	156.55 लाख रु.	57.75 लाख रु.
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	118.00 लाख रु.	167.98 लाख रु.
अन्य मंस्वाग्रों को दी जाने वाली दी गई वित्तीय सहायता		
(क) विद्यापीठ बनस्थली		5,000/- रुपये
(ख) आई० पी० एस० एम० आर० पंजाब विश्वविद्यालय, 30,000/- रु. चण्डीगढ़		

राजकीय महाविद्यालयों के लिए भवनों/छावावासों का निर्माण

4.7 रिगोर्टीधीन अवधि में सरकार ने आदमपुर (हिमार) में नया कालिज खोलने हेतु भवन निर्माणात्मक 1,34,88000/- रुपये की लागत के ल्लान/अनुमान की स्वीकृति जारी की है।

छात्र संस्था

4.8 रिगोर्टीधीन वर्ष में राज्य में 83782 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे

थे। संस्थानुसार छात्रों की संख्या इस प्रकार थी :—

संस्था का स्तर	छात्र संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. राजकीय महाविद्यालय	17384	4965	22349
2. अराजकीय महाविद्यालय	37410	19997	57407
3. विश्वविद्यालय	2898	1021	3919
जोड़	57692	25983	83675

अध्याय पांचवां

'शिक्षक प्रशिक्षण'

5.1 शिक्षा का स्तर अध्यापकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भार करता है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रति-दिन वह प्रकार के नए अनुसंधान हो रहे हैं तथा प्रयोगों से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षक को व्यवसायिक वक्ष्या प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :

1. रोवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण
2. रोवाकालीन प्रशिक्षण

सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण

5.2 वर्ष 1980-81 में भिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिए राज्य में निम्नलिखित यात्र्यक्रम की सुविधाएँ उपलब्ध थीं।

एम० एड० कक्षाये

5.3 राज्य में एम० एड० की कक्षाएँ केवल सोहन लाल शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला तथा कुरुक्षेत्र निश्वविद्यालय में उपलब्ध रही। वोनों संस्थाओं में वर्ष 1980-81 में 36 लड़के तथा 39 लड़कियां ने प्रवेश प्राप्त किया।

बी० एड० कक्षाये

5.4 वर्ष 1980-81 में श्री भगवान कृष्ण शिक्षा महाविद्यालय, मण्डी डबवाली (सिरसा) में खोला गया। अतः अब शिक्षा महाविद्यालय की संख्या 20 हो गई है, जिनमें बी० एड० प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएँ चालू हैं। इन राभी महाविद्यालयों में 1004 लड़के एवं 2287 लड़कियों ने बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया।

ओ० टी० प्रशिक्षण कक्षाये

5.5 रिपोर्टरीन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं में हिन्दी, मंसुकृत तथा पंजाबी

की ओर ० टी० कक्षाएं खोनने की असमति दी गई।

- | | |
|---|--|
| १. राजकीय शिक्षण मञ्चाविधालय, भिवानी | हिन्दी ओ. टी. ४५ तथा
संस्कृत ओ. टी. ८० सीटस |
| २. राजकीय जे. बी. टी., स्कूल नारायणगढ़ | पंजाबी ओ. टी. ४५ सीटस |
| ३. राव विरेन्द्र सिंह कालिज आफ एजुकेशन
रिवाड़ी | हिन्दी ओ. टी. ११० सीटस
पंजाबी ओ. टी. १०२ सीटस |

जे० बी० ई०/नर्सरी टीचर्ज ट्रेनिंग

५. ६ डिप्लोमा-जन-गजुकेशन कक्षाएं/नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण वर्ष १९८०-८१ में बन्द रहा, क्योंकि काफी संख्या में प्राथमिक अध्यापक बेरोजगार थे।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

५. ७ गत वर्षों की भाँति वर्ष १९८०-८१ में भी प्राथमिक तथा स्नातक अध्यापकों के लिए निम्नलिखित सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गए।

प्रशिक्षण का निवरण	प्रशिक्षण अवधि दिनों में	जितने अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
१. शिक्षा अधिकारी	५	५०
२. गुरुग्राम्यापक/मध्यग्राम्यिका/ उच्चनर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य	५	७००
३. खण्ड शिक्षा अधिकारी	५	९४
४. माध्यमिक अध्यापक	२०	१२००
५. प्राथमिक अध्यापक	१६	४०००
६. केमट (सी. ए. एम. ई. टी.) कार्यक्रम के अधीन ब्रिटिश एक्सपर्ट की अध्यक्षता में एक फोलोअप समीनार का आवेदन एस सी. ई. आर टी. में किया गया। इसमें गांण्ठ के २२ प्राध्यापकों ने भाग लिया।		

प्रौढ़ शिक्षा 6

‘प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा’

6.1 हरियाणा राज्य में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इससे पहले भी प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में चलाया जा रहा था, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 198 थी। परन्तु अब 31 मार्च, 1981 को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 3394 हो गई है, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। इन 3394 केन्द्रों में से पुरुष तथा महिला केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है—

पुरुष महिला जोड़

1483 1911 3394

राज्य में भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

स्कीम	केन्द्रों की संख्या
1. प्रामीण कार्यान्वयक साक्षरता (केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित)	2400
2. राज्य योजनेतर स्कीम	1042
3. समाज शिक्षा केन्द्र (राज्य योजनेतर स्कीम)	58
	जोड़ 3500

साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या

6.2 रिपोर्टधीन वर्ष में लाभान्वित प्रौढ़ों की कुल संख्या 76175 थी जिसमें से

11.

L4185. 4/12/8969

पुस्तक 35364 तथा महिलाएं 40811 हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या निम्न प्रकार है

	पुस्तक	महिला	जोड़
1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या	33976	34570	68546
2. अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या	9075	8257	17332

वित्त व्यवस्था

6.3 वर्ष 1980-81 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए व्यय (प्रोविजनल) नियन्त्रण प्रकार है

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	41.79 लाख रुपये
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	21.23 लाख रुपये
जोड़	63.02 लाख रुपये

शिक्षार्थियों की परीक्षा

6.4 वर्ष 1980-81 में 76175 प्रौढ़ों को दाखिल किया गया, जिनका पत्रने, लिखने गण्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिनमें 32513 शिक्षार्थियों ने परीक्षा पास की।

जिला शिक्षा बोर्ड

6.5 जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए उपायुक्तों की अधिकता में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाए गए हैं। इसको अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने तथा विकसित करने के लिए जिला स्तर पर जिला मंसाधन केन्द्रों का गठन भी किया गया है।

सर्वे कार्यक संस्थाएँ

६.६ प्रोड शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का भी अपना स्थान है। सरकार कार्यक्रम के अंतरिक्त स्वैच्छिक संस्था जनता कल्याण सामिति, रिवाड़ी, सामाजिक कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र, रिवाड़ी (महेन्द्रगढ़), नेहरू युवक केन्द्र, गुडगांव तथा करनाल में प्रौद्धों को शिक्षा देने में कार्यरत हैं। वर्ष १९८०-८१ में इन संस्थाओं द्वारा शिक्षा कार्यक्रम बन्द रहा, क्योंकि इन संस्थाओं को वर्ष १९८०-८१ में अनुदान की कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

संसाधन केन्द्रों की स्थापना

६.७ प्रोड शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यिक सामग्री तैयार करते/उपलब्ध करने के लिए निवेशालय स्तर तर राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना की हुई है। इसी तरह जिना स्तर पर भी संसाधन केन्द्रों की स्थापना की हुई है।

अनौपचारिक शिक्षा

६.८ हरियाणा में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम वर्ष १९७४-७५ में प्रयोगात्मक उद्देश्य से आरम्भ किया गया। आरम्भ में ११-१३ तथा १४-१७ आयु वर्गे के उन बच्चों को ५वीं तथा ८वीं वीं परीक्षा के लिए तैयार करना था जिन्हें मध्य में ही पढ़ना छोड़ दिया था। वर्ष १९७७-७८ में कुछ अला-समय स्कूल भी आरम्भ किये गए, जिनमें वे बच्चे थे जो स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते। जब राष्ट्रीय प्रोड शिक्षा कार्यक्रम को २ अक्टूबर १९७८ से आरम्भ किया तो अनौपचारिक शिक्षा की उपरोक्त दोनों स्तरों स्तरों से बच्चे दी गई, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया तथा २५०० प्राथमिक स्तर के और १२० माध्यमिक स्तर के केन्द्र स्वीकृत किये गए। वर्ष १९८०-८१ में स्वीकृत केन्द्रों की संख्या ३३४५ प्राथमिक स्तर पर तथा १२० माध्यमिक स्तर पर थी। इनमें से क्रियानील केन्द्रों की संख्या ११८८ प्रकार है।

स्तर	प्राथमिक	माध्यमिक	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	जोड़
			२७०८	३६६	३१०७४
			५५	५	६०

6.9 रिपोर्टरीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही

	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति की छात्र संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
प्राथमिक स्तर	33489	39272	72761	9714	9422	19138
माध्यमिक स्तर	613	344	957	131	31	162

वित्त व्ययस्था

6.10 वर्ष 1980-81 में अनौपचारिक शिक्षा पर निम्न अनुसार व्यय (प्रोविजनल) किया गया

1. योजनेतार	34.10 लाख रुपए
2. योजना	12.30 लाख रुपये
जोड़ :	46.40 लाख रुपए

छात्रों को प्रोत्साहन

6.11 रिपोर्टरीन अवधि में सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, नेब्यन सामग्री तथा कार्यानुभव के लिए सामग्री दी गई। इसके अतिरिक्त 9330 हरिगंग छात्राओं को 2.83 लाख रुपये की मुफ्त दर्दियां देने की स्वीकृति दी गई।

प्रशासनिक व्यवस्था

6.12 मुख्यान्य में अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक पद मूल्य अनौपचारिक शिक्षा विभिन्न का है। क्षेव में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम की देवभान निला प्रौढ़ शिक्षा प्रधिकारी ही करते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा के विषय में अनुभव

6.13 सामान्य रूप से अनौपचारिक शिक्षा स्कीम की प्रणाली की गई है तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं और इसे सारे राज्य में विस्तृत करने की आवश्यकता है। सबै प्राथमिक शिक्षा उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक शिक्षा को अनिवित पर्यावेक्षक अमले की आवश्यकता है तथा अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में समन्वय की आवश्यकता है।

आधिकार्य संस्थानों

“महिला शिक्षा”

७.१ हरिजनार्थ में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के क्षेत्र में प्रकाश वर्ती सुविधाओं उपलब्ध की गई है। रिपोर्टरीन अवधि में इन सुविधाओं में और वृद्धि की गई है।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को नियामित शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतम प्राथमिक कक्षाओं में लड़कियों में नड़कों की अवेक्षा स्थूल सीख कम तो जाती है। राजकीय विद्यालयों में भी छात्री से गारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर नड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है।

(ख) माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 20,401 लड़कियों को, 20 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष, 4,80 माहांरुपये की लागत की मुफ्त लेखन सामग्री की गई है।

(ग) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40,000 हरिजन छात्राओं को 10 रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृत्ति दी गई।

(घ) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 20,233 हरिजन छात्राओं को, 10 रुपये की प्रति छात्रा प्रति वर्ष, 7,87 लाख रुपये की लागत की मुफ्त वस्त्री दी गई है।

(इ) हरिजन कन्याओं को नौकरी, दसवीं तथा गारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 23%, 25 और 30 रुपये की दर से योग्यता छात्रवृत्तिकार्यक्रम की व्यवस्था है। यह छात्रावृत्तियां आठवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा पारणाम के भाभार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है और इस स्कीम के अधीन 150 हरिजन कन्याएं लाभांश्वत होती हैं।

(ए) विधवाओं / पतियों से अलग रहने वाली / विवाह विच्छेद स्थियों के लिए ३००००० / १००००० / नगरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित

रखे जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील देवी जाती है। यह स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलिट्री पुरुषों की पत्नियों या उनके आश्रितों की जो अयोग्य हो गये हों आ लड़ते-लड़ते मारे गये हों, प्रवेश के लिये अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है।

(छ) यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रस्त्रेक स्कूल में एक महिला अध्यापिका नियुक्त की जाये ताकि अधिक से अधिक स्त्रियों स्कूलों की ओर आकर्षित हों। गर्व प्रशिक्षित अध्यापिका उपलब्ध न हो तो अप्रशिक्षित अध्यापिका नियुक्त की जाये तथा वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाये। इस तरह की अध्यापिकाएँ अस्थाई होंगी।

(ज) उपरोक्त के अनुसार "राज्य महिला परिषद्" भी स्त्री शिक्षा के लिये सलाह, नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रम के बारे में सरकार को सलाह देती है।

महिला शिक्षा संस्थाओं की संख्या

7.2 एपोट्रीन अवधि में महिला शिक्षा संस्थाओं की 31-3-81 की संख्या निम्न प्रकार थी

क्रमांक	संस्था का प्रकार	राजकीय	ग्रामीण	जोड़
1.	प्राथमिक विद्यालय	275	15	290
2.	माध्यमिक विद्यालय	96	5	101
3.	उच्च विद्यालय	170	67	237
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	20	—	20
5.	महाविद्यालय	1	22	23

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के प्रलग स्कूल नहीं हैं वहां पर

लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती है। परन्तु कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर ही खोले जा सकते हैं।

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल के भवन के लिये प्रबन्ध कर दें।
3. यदि 30 या 40 कन्याये विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उपलब्ध हों।
4. यदि एक भील के क्षेत्र में कन्याओं के लिये कोई और विद्यालय न हो।

जिला शिक्षा आधिकारी, कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक ब्रान्च विद्यालय भी खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या

7.3 वर्ष 1980-81 में राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार रही

शिक्षा का स्तर	छात्राएं
प्राथमिक स्तर	422847
माध्यमिक स्तर	125778
उच्च / उच्चतर माध्यमिक स्तर	41443
महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर	25983
जोड़ :	616051

अध्याय आठवीं

“शिक्षा सुधार कार्यक्रम”

8.1 शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिये नथा शिक्षा के स्तर को समृद्धि करने के लिये विभाग द्वारा रिपोर्टरीन अवधि में कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। अध्यापकों का नवीनतम मिथक्षण प्रक्रियाओं तथा किसियों के अनुसार बिनार्थियों के शिक्षा देने हेतु राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। वर्ष 1980-81 में 4000 प्राथमिक अध्यापकों, 1200 स्नातक अध्यापकों, 554 खण्ड शिक्षा अधिकारियों, 700 हड्डी / हाथर संकेषणी स्कूलों के मुखियों, 50 शिक्षा अधिकारियों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त (C. A. M. E. T.) कार्यक्रम के अफ्रीन ब्रिटिश एक्सपट की अध्यक्षता में एक फौलोआप समीनार का आयोजन (एन०सी०१० आर०टी०) में किया गया। इसमें अण्डल के 22 ब्राह्मणान्नों में शामिल।

राज्य शिक्षा संस्थान के ब्राकाण्ड विभाग द्वारा “प्राथमिक अध्यापक” नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकास के लिये पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाता है। वह पत्रिका राज्य के लगभग 30 हजार प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक अध्यापकों को ज्ञात मास गंगम की बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विभग करते हैं, जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

शास्त्रा संगम

8.2 न्यापित किये गये भाला संगम केन्द्रों में आपराजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यावसायिक कुशलता का बढ़ाने के लिये कई प्रकार के कार्यक्रम भाग्याये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा भवांसी अध्यापन समस्याओं पर प्रस्तार विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं।

कक्षा शिक्षा सेवा तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

8.3 गामान्यतः इसा होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अत विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की गंधा अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्षण बना लें तथा इन सैक्षणों को इस तरह बनाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्षण में आ जायें तथा मन्द बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्षण में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हो उनके परिणाम को देखते समय उस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्षण पढ़ा रहा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये यह परीक्षा भीतर अपनाई है कि वहाँनो तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तीसरी तथा नौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाय।

कार्य अभियान

8.4 कार्य अनुभव शिक्षा का महत्वपूर्ण तथा अभिन्न घंगहै। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह विषय अन्तर्वाच घोषित किया जा चुका है तथा नये जीविक हांच 10 जमा 2 जमा 3 के अन्तर्गत भी कार्यानुभव एक अनिवार्य विषय है। इस प्रबोधन के लिये राज्य के सभी अध्यार्थिक विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों के लिये वर्ष 1974-80 में 7,47,460 रुपये की रक्षि की व्यवस्था करवाई गई थी परन्तु वर्ष 1979-80 में 10 जमा 3 जमा 3 पद्धति लागू न होने के कारण वह राज्य प्रशासन में भट्टी लाई जा सकी। शियोटार्डीन अधिक्षित में इस स्कूल के अन्तर्गत आध्यार्थिक, उच्च/अच्चवतर माध्यमिक स्कूलों में 1.86 लाख रुपये की रक्षि तथा प्राचीनकालीन स्कूलों में 3.00 लाख रुपये की रक्षि वितरित की गई है। आध्यार्थिकों का कार्यानुभव में प्रशिक्षण इनके लिये राज्य में तीन कार्यानुभव केन्द्र नारंगीन, नीलांखड़ी तथा गुडगांव में कार्बोरत है।

शिक्षा संस्थानों में आध्यार्थिक सुविधाओं का उत्पत्ति करना

8.5 शियोटार्डीन शर्वांग में शिक्षा संस्थानों में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिये विषेष पर उठाये गये।

हरियाणा राज्य में अधिकतर स्कूलों के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः शिक्षा विभाग ने स्कूलों के भवनों के लिये एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया है। शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये नए निधि नियम (निलिंडग फण्ड रुलज) राजकीय स्कूलों में फण्ड के अन्तर्गत एकवित की गई राशि का 80 प्रतिशत विभाग के मुद्रा कांश (मनी पूल) में जमा करवाता पड़ता है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जिन स्कूलों के भवन पूरी तरह तैयार हैं उन्हें दख्खाल के लिये लोक निर्माण विभाग को मौग दिया जाये।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनवाने के लिये 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई तथा रा० प्रा० पा० जगाधरी तथा अनुमानगर के नये भवन के निर्माण हेतु 23.19 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के वर्ष 1979-81 में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 60 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिये 28.80 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी तथा वर्ष 1980-81 में 27 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिये 15 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। इसके अतिरिक्त रा० प्रा० पा० उ० वा० गैहवा के भवन निर्माण के लिये 27 लाख रुपये तथा रा० प्रा० पा० उ० वा० होडल के स्कूल भवन के लिये 5.63 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

स्कूल भवनों की मुरम्मत के लिये वर्ष 1979-80 में 1.68 करोड़ रुपये की राशि के 395 अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा वर्ष 1980-81 में 1.10 करोड़ रुपये की राशि के 200 अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्कूल भवनों की मुरम्मत का कार्य पूरा करने के लिये अब तक लगभग 1.25 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा पी० डब्ल्यू० डी० के निपटान पर रखी जा चुकी है और इस वर्ष के अन्त तक 1.16 करोड़ रुपये की ओर राशि पी० डब्ल्यू० डी० के निपटान पर रखी जाएगी जिसकी व्यवस्था कर दी गई है।

अन्य भौतिक सुविधा

8.6 वर्ष 1980-81 में राज्य के 1000 प्राथमिक स्कूलों में 300 रुपये प्रति प्राथमिक स्कूल की दर से 3.00 लाख रुपये की राशि खेल कूल तथा भनौरंजन की सामग्री जटाने हेतु और इन प्राथमिक स्कूलों के खेलों के मैदानों के त्रिकास के लिये प्रदान की गई।

अध्याय नौवाँ

'छात्रवृत्तिया तथा अन्य वित्तीय सहायता'

9.1 सुप्राकृत एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य तथा भारत सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्यसूचित तथा गिरजों जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजाए एवं नितीय सहायता हर वर्ष दी जाती है।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

9.2 (क) महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को उत्साहित करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 1120 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इन छात्रवृत्तियों पर 10.20 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(ख) हरियाणा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य की ओर से कुल 10 छात्रवृत्तियां वर्ष 1980-81 में मैट्रिक उच्चतर माध्यमिक तथा प्री-युनिवर्सिटी परीक्षा के आधार पर प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त गिरजे वर्षों की 51 छात्रवृत्तियों का नवोकरण भी किया गया। इस पर वर्ष 1980-81 में 43275 रुपये व्यय किये गये।

राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना

9.3 इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 750 हरियाणवीं योग्य छात्रों को मैट्रिक उपरान्त उच्च शिक्षा को संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां दी गईं। विचाराधीन अवधि में योग्यता छात्रवृत्तियों के रूप में 4.29 लाख रुपये की राशि छात्रों में वितरित की गई।

राष्ट्रीय कृषि छात्रवृत्ति योजना

9.4 इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गरीब माना-गिता के योग्य बच्चों को जो कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उनको कृषि के लौगिक उच्च

शिक्षा प्राप्त करने के लिए छावनीति ग्रन्थ के रूप में दी जाती है। वर्ष 1980-81 में 258 छात्रों को 1,90 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

लैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणी छात्रों को छावनीतियाँ

9.5 देश के अधिक सैमिक स्कूलों तथा पंजाब पञ्जिक स्कूल नामा वैशिष्ट्य ग्रहण करने के लिए वर्ष 1980-81 में 603 हरियाणी छात्रों को छावनीति राशि एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 23,31,381 रुपये की राशि प्रदान की गई।

स्कूलों में छात्रों के लिए योग्यता छावनीति योजना

9.6 (क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा स्तरीय योग्यता छावनीति परीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं में (छठी से आठवीं कक्षा तक) 10 रुपये मासिक दर से वर्ष 1980-81 में 2014 छात्रवृत्तियाँ देने के लिए 2,42 लाख रुपये की राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई थी।

(ख) माध्यमिक परीक्षा पर अकारित योग्यता छात्रकृति 15 रुपये मासिक प्रति छात्रवृत्ति की दर से वर्ष 1980-81 में 1518 छात्रकृतियाँ देने के लिए 2,73 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतु छावनीतियाँ

9.7 हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा लंबेसरी भाषा के रूप में दी जाती है जो छावनी तेलगू भाषा पढ़ता है उसे 10 रुपये प्रति मास की दर से छावनीति दी जाती है। वर्ष 1980-81 में इस कार्य के लिए 37,740 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

राज्य हरियाण कल्याण वोलना अधीन अनुसूचित जातियाँ तथा पिलड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएँ

9.8 (क) अनुसूचित जाति तथा पिलड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शिक्षणिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाये तथा वित्तीय महागता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य के सभी भाग्यता प्राप्त शिक्षा

मंस्थाओं में प्रवेण पा सकते हैं। नि शुल्क शिक्षा और छावनीत्यां के अर्तारक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं, बहसीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 16 लाख मासिक दर से स्टाईलीज़ प्रदान किये जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 55,32 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ब) महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्ग के छावनी/छावाओं को विभिन्न कक्षाओं और कोसों में पढ़ने हेतु 30 रुपये मासिक दर से 70 रुपये मासिक दर तक वज्रीफ़ / छावनीत्यां दी जाती हैं। वर्ष 1980-81 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग के लगभग 3500 छावनी/छावाओं को 16,46 लाख रुपये की छावनीत्यां/वज्रीफ़ दिये गये। इस राशि में से पिछड़े वर्ग के छावाओं की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई।

भारत सरकार के मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति के छावनी/छावाओं की छावनीयोजना

9.9 इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा मंस्थाओं में भिन्न-भिन्न कोसों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छावों/छावाओं को 40 रुपये से लेकर 200 रुपये मासिक दर से छावनीत्यां दी जाती हैं। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के अन्तर्गत 4756 छावनी/छावाओं को लाभान्वित किया गया तथा 41,45 लाख रुपये की राशि घरें की गई। यह छावनीत्यां तथा इस प्रकार की अन्य विनीय सहायता विद्यार्थियों के उनके मातापिता / संरक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है, जिसकी आवश्यकतम कुल वार्षिक सीमा 9000 रुपये है। अनिवार्य रूप से दी जाने वाली निःशुल्क शिक्षा के लिए कक्षा शुल्क की प्रांतपूर्ति भी छावनी को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

विद्युक्त जाति के बच्चों की छावनीत्यां

9.10 विषयका जाति के बच्चों को मूक्ता तथा महाविद्यालय स्तर पर छावनीत्यां देने के लिए अलग गतिसुक्त जाति कल्याण योजना चाह रहा है। वर्ष 1980-81 में इस योजना के लिए 43,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी।

हरिजन छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति

9.11 नौवीं, दसवीं तथा ग्राहकी कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिए 150 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। प्रति वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रत्येक कक्षाओं में अर्थात् नौवीं, दसवीं, तथा ग्राहकी में क्रमशः 20 रुपये, 25 रुपये तथा 30 रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1980-81 में इनके लिए 45000 रुपये की व्यवस्था थी।

भूत आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

9.12 इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिए 1000 रुपये या इससे कम आय वर्ग के माना-पिता के बच्चों का 27 रुपये से लेकर 65 रुपये माध्यमिक दर से छात्रवृत्तियों दी जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा शुल्क अन्य अनिवार्य फाड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1.25 लाख रुपये की राशि खब्बे की गई तथा 170 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

प्रादीप श्रेत्र के सूयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर योजना

9.13 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राज्य की ओर से 5 छात्रवृत्तियां प्राप्त विकास खण्ड की दर से दी जाती है। चुने गये स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जो छात्रावास में रहते हैं उनको 1000 रुपये प्रतिवर्ष और ढे स्कालरी को 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो छात्र अपनी डच्छा के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और फीस देते हैं उन्हें 250 रुपये प्रति वर्ष और जहां फीस नहीं ली जाती वहां 150 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1980-81 में इस योजना के लिए 2.73 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति

9.14 अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर-अनुसूचित जाति के लोगों वे लोगों को मार्ग भरकार मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति देती है। इस स्कीम के अन्तर्गत एक छात्रवृत्ति दी गई जिस पर 2147 रुपये व्यग हुआ।

अध्याय दसवां

“विविध”

खेल कद

10.1 खेल कूट के विषय को राज्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षा पद्धति में लचित स्थान प्राप्त है। प्रायः खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की मिशन निधि से किया जाता है। खेलों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार तथा खेल विभाग भी अनुदान देता है। वर्ष 1980-81 में राज्य सरकार ने 100000 रुपये तथा खेल विभाग ने 5000 रुपये को राज्य अनुदान के रूप में दी। नवम्बर 1980 में जूनियर वाकी ट्रूमैट जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ इस में हरियाणा राज्य के श्री गृह हरि सिंह हाई स्कूल श्री जीष्णु नगर सिरसा की टीम मध्यकृत विजेता घोषित की गई। दिसम्बर 1980 में कलकत्ता में छब्बीसवीं शीतकालीन नैशनल स्कूल गेमज प्रातियोगिताओं में हरियाणा राज्य के स्कूल छात्र/छात्राओं ने निम्न पदक जीते।

मद	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कास्य पदक
1. कुण्ठी	2	4	1
2. दिपल जैग	1	—	—
3. हैमरथो	1	—	—
4. पोलबाल	—	1	1
5. लंग जैग	—	—	1
6. हा. जैग	—	—	1

इसके अतिरिक्त नवम्बर मास में दिल्ली में आयोजित हुई मिनी नैशनल गेम्स में भी इस राज्य के छात्रों द्वारा 2 स्वर्ण पदक, दो रजत पदक, एवं एक कांस्य पदक प्राप्त किये गए।

एस० एस० एस०

10.2 विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तिगत और उनके बोडिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हारियाणा राज्य में एन एस. एस. प्रोग्राम चालू है। वर्ष 1980-81 में एन एस. एस. प्रोग्राम के अधीन पंचकों की संख्या 14000 और महाविद्यालयों में स्वीकृत एन एस. एस. यूनिटों की संख्या 120 थी। वर्ष 1980-81 में इस प्रोग्राम के लिए विभाग के बजट में 14,40,000 रुपए की व्यवस्था थी। इस प्रोग्राम पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्रमशः 7.5 के अनुपात में खर्च करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एन.एस.एस. के स्वर्ण रोपक विशेष प्रयोग देते हैं। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु यूथ फार घरल रिक्स्ट्रक्शन अभियान के अधीन हारियाणा राज्य में वर्ष 1980-81 में 110 शिविर लगाए गए। इन शिविरों में से 31 शिविर गोहतक विश्वविद्यालय द्वारा, 69 शिविर कुल्खेत विश्वविद्यालय द्वारा तथा 2 शिविर कृषि विश्वविद्यालय, हिंगांग द्वारा लगाए गए इन शिविरों में से कुछ शिविर मलिन बस्तियों में लगाए गए। लगभग 7000 छात्रों ने इन शिविरों में भाग लिया। इन शिविरों में मुख्यता निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया।

- (1) Slum Clearance
- (2) Eradication of illiteracy
- (3) Socio-Medical Works
- (4) Improvement of sanitation
- (5) Plantation of trees
- (6) Popularization & construction of Lohat Gas plants
- (7) Eradication of dowry and other social evils
- (8) Adult Education

एन० सी० सी०

10.3 भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वागा बनाए गए नियमों के अनुसार एन सी सी स्कीम के अन्तर्गत मेना की तीनों शाखाओं जन, स्थल तथा वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन.सी.सी. के कैडिट्स को दिया जाता है। विद्यालयों के छात्रों के लिए जूनियर डिविजन स्थापित किए हुए हैं तथा महाविद्यालयों के छात्रों के लिए सीनियर डिविजन भी स्थापित किए हुए हैं। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन.सी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अनिवार्य रूप से नहीं। इस परियोजना को चलाने का खंड भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती है। वर्ष 1980-81 में एन.सी.सी. स्कीम को चलाने हेतु 5340650/- रुपये की बजट व्यवस्था की गई।

मीनियर डिविजन

बटालियन की संख्या। कैडिट्स की स्वीकृत संख्या।

इनफैन्ट्री बटालियन

(लड़कों के लिए)	12	9600
-----------------	----	------

इनफैन्ट्री बटालियन

(लड़कियों के लिए)	2	1600
-------------------	---	------

वायु स्कॉवल्स

2	400
---	-----

जल विग्रह युनिट

1	200
---	-----

ग्रुप हैडक्वार्टर्ज।

2	—
---	---

जूनियर डिविजन

बटालियन की संख्या। कैडिट्स की संख्या।

सी विग ट्रूप

(कोंडों के लिए)	138	13350
-----------------	-----	-------

अविग ट्रूप

(ध्यों के लिए)	10	1000
----------------	----	------

वायु

14	1350
----	------

जल।

5	450
---	-----

10.4 रेड क्रास

10.4 रेड क्रास संस्था समाज में रोगियों, अंगहीनों घायलों, और निर्धनों की महागता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में प्रिय बनाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रेडक्रास संस्थाएँ। जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई हैं। शिक्षा संस्थाओं के रेड क्रास फण्ड में से आवश्यकता ग्राहक बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां, निकित्सा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में प्राकृतिक रेडक्रास फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग चण्डीगढ़ के समीप साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की विकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

इस संस्था द्वारा वर्ष 1980-81 में 99 रक्तदान शिविर लगाए गए। इन शिविरों में 7468 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। यह संस्था आर्थिक राशि में कमज़ार स्तरियों तथा बच्चों के लिए 21 कापट केन्द्र चलाती है। ये केन्द्र राहतक, हिमार, मिरगा भिवानी और अम्बाला में स्थापित हैं। गरीब बच्चों को वर्दी दृश्यान् फीम किटाबों आदि पर जूनियर रेड क्रास निर्ध स 99. /9 रुपय खर्च किए गये। रिपोर्टसीन अवधि में बच्चों के लिए 5 शिविर जिला स्तर पर अम्बाला कुरुक्षेत्र, करनाल, गुडगांव तथा राहतक में आयोजित किए गए। इन कैमों में 644 जनियर तथा 92 सलाहकारों ने भाग लिया। हमारे राज्य के जूनियरों ने तापिलनाडु राज्य की शाखा द्वारा आयोजित शिविर में भी भाग लिया।

वर्ष 1980-81 में जे आर. सी. रुप में सरस्य संख्या 1499089 थी जिनमें 1049087 लड़के तथा 450032 लड़कियां थीं।

भारत स्काउट्स एवं गाईड्स

10.5 राजा की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काउट्स एवं गाईड्ज आदि छात्रों में भानुप्रेरण, नेतृत्व की भावना तथा जनजाति की सेवा करने के भाव उत्तर करने के लिए उद्देश्य चलाया जा रहा है। यह आंदोलन हरियाणा भारत स्का० तथा गाईड्ज एसोशिएशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1980-81 में भरकार द्वारा इस संस्था का 1.70 लाख रुपय नाम पक्ष से तथा 1.70 रुपय नाम पक्ष से अनुदान के रूप में दिये गए।

स्काउटिंग कैम्प

वर्ष 1940-41 में हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाईड्ज एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तर पर नाग देवी में 17 कैम्प लगाए गए था। एक कबज रैली की वर्दि जिसमें 1957 स्काउट्स ने भाग लिया तथा राष्ट्रीय स्तर पर गांतीवधिशो के 6 कैम्प लगाए गए जिसमें 3000 ने भाग लिया। तीन समाज सेवा कैम्प लगाए गए जिसमें 411 ने भाग लिया।

गाईड्ज कैम्प

जिला स्तर पर बुगबुल के 1 कैम्प लगाए गए, इन कैम्पों में से 6 से 11 वर्ष की आयु को 1360 लड़कियों ने भाग लिया। राज्य स्तर पर 6 कैम्प लगाए गए इनमें 534 ने भाग लिया तीमरा कैम्प बुलबुल देहली में मनाया गया इसमें राज्य की सभी स्थानों से 115 बुलबुलों ने भाग लिया।

स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

10.6 मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 117 शिक्षा बच्चों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राईमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है। वर्ष 1980-81 में 4 23 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ प्राप्त हुआ।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम पर 40 36 नाल्ल रुपये की राशि खर्च की जिसमें 1.92 लाख रुपये की राशि केयर संगठन के प्रशाभनिक व्यय के रूप में तथा शेष अद्य खर्चों तथा पारिवहन व्यय के रूप में खर्च की गई।

प्रौढ़ा ग स्थापित कन्द्रीय किनन द्वारा एक नाल्ल बच्चों के लिए प्रतिदिन पंजीरी तैयार के स्कूलों में बोटन के लिए भजी गई। इस किनन के खर्च के लिए सखार द्वारा .76 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

पुस्तकालयों का विकास

10. 7 रिपोर्टरीन अवधि में कोई भी नया पुस्तकालय नहीं खोला गया। इस समय हारियाणा राज्य में जिला पुस्तकालयों की संख्या 8 है।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

10. 8 वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान निधि में लगभग 4.45 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई तथा विपद्धतिस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फाड में से 2.02 लाख रुपये सहायता के रूप में वितरित की जाने वाली राशि का और इस प्रकार है-

1. 72 अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 1000/- रुपये प्रति अध्यापक/अध्यापिका की दर से 72000/- रुपये अध्यापकों के अंतिम संस्कार तथा क्रियाक्रम के लिए तर्द्ध आधार पर तत्काल सहायता के रूप में दिये।

2. 87 स्वर्गवासी अध्यापकों/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 75/- रुपये से 100/- रुपये प्रति मास की दर से 102500/- रुपये तक की सहायता एक वर्ष के लिए दी गई।

3. 9 स्वर्गवासी सेवा निवृत अध्यापकों/अध्यापिकाओं की लड़कियों की शादी पर 1500/- रुपये प्रति लड़की की शादी पर 13500/-रुपये की सहायता दी गई।

4. 7 स्वर्गवासी अध्यापकों की विधवाओं को 3117/- रुपये की मिलाई मरणीने खरीद कर दी गई।

5. 3 अध्यापकों को उनकी लाली बीमारी पर 1500/- रुपये की रक्षायत के रूप में दिये गए।

6. अध्यापकों के 33 बच्चों को मैट्रिक उपरांत पढ़ाई करने के लिए मैट्रिक आधार पर 27480/- रुपये की छात्रवृत्तियां एक वर्ष के लिए दी गईं।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 1980-81 में नितेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी ।

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1.	निदेशक शिक्षा	प्रथम	श्री एल० एम० जैन, आई० ए० एस०
2.	निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री एस० पी० मित्तल, आई० ए० एस०
3.	संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	प्रथम	श्री हरिकृष्ण सिंह
4.	संयुक्त निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री के० पी० अबरोल
5.	संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	प्रथम	श्री भर्म सिंह ठिल्लो
6.	निदेशक रिसोर्स केन्द्र	प्रथम	डॉ० स्वर्ण आनिश
7.	प्रशासन अधिकारी	द्वितीय	श्री नन्द किशोर भारद्वाज, एच० एस० एस०
8.	उग-निदेशक विद्यालय-I	पथम	कुमारी शांता राजवान
9.	उप-निदेशक महाविद्यालय	प्रथम	श्री बी० एल० गोस्वामी
10.	उप-निदेशक विद्यालय-III	प्रथम	श्री एम० पी० जैन
11.	उप-निदेशक योजना	प्रथम	श्री मति राजदुलारी
12.	अनौपचारिक शिक्षा अध्यक्ष	प्रथम	श्री देव राज सिंह गिल
13.	उग-निदेशक विद्यालय-II	प्रथम	श्री जे० के० सूद
14.	उग-निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	प्रथम	श्री मति पुज्जा अबरोल

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	प्रधिकारी का नाम
15.	सहायक निवेशक सहायिता लय	द्वितीय	श्री नरेन्द्र कुमार
16.	सहायक प्रिवेशक मी० सी०	द्वितीय	श्री बी० आर० बजाज
17.	सहायक निवेशक परीक्षा	द्वितीय	श्री मनमोहन सिंह चौधरी
18.	सहायक निवेशक अध्यापक प्रणिक्षण	द्वितीय	श्री एस० एस० कौशल
19.	सहायक निवेशक आंकड़ा	द्वितीय	श्री पी० सी० चौधरी
20.	सहायक निवेशक विद्यालय-II	द्वितीय	श्री मती कमला लिकाग
21.	सहायक निवेशक विद्यालय-III	द्वितीय	श्री मती गाधूरी जैन
22.	सहायक निवेशक विद्यालय-I	द्वितीय	श्री श्रवण कुमार
23.	सहायक निवेशक ब्रीड़ शिक्षा	द्वितीय	श्री जे० के० टण्डन
24.	सहायक निवेशक प्रोफ़ेशनल शिक्षा	द्वितीय	श्री धर्मेन्द्र गुप्ता
25.	अनुसंधान अधिकारी-I	द्वितीय	श्री जुगल किशोर
26.	अनुसंधान अधिकारी-II	द्वितीय	कुमारी के० गुलहान
27.	अनुसंधान अधिकारी-III	द्वितीय	श्री मती राहीज़ कौशिक
28.	अनुसंधान अधिकारी-IV	द्वितीय	श्री मती बीना सर्मज्ज
29.	लेखा अधिकारी (कालेज)	द्वितीय	श्री डब्लू० सी० मलिक
30.	लेखा अधिकारी (विद्यालय)	द्वितीय	श्री आर० डी० चौधरी
31.	रजिस्ट्रार शिक्षा	द्वितीय	श्री एस० एस० शास
32.	बजार अधिकारी	द्वितीय	श्री एम० एन० मदान

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष १९८०-८१ में जिला स्तर पर अधिकारी

क्रमांक	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी का नाम
1.	अम्बाला	कुमारी कृष्णा अरोड़ा	श्री आर० सी० वशिष्ठ, अम्बाला श्री ई० आ० गोयस, अम्बाला श्री सोहन लाल भसीन, नारायणगढ़
2.	भिवानी	श्री आर० पी० गिरधर	श्री अमीर सिंह, चरखी दावरी श्री के० ए० धवन, भिकानी श्री आर० डी० शर्मा, लोहारू
3.	फरीदाबाद	श्री प्रेम प्रकाश	श्री मोती राम रोहत, फरीदाबाद —रिक्त—, पलवल
4.	बड़मांव	श्री जयदीर सिंह	श्री गणपति सिंह, गुडगांव —रिक्त— नूह श्री बलराज शर्मा, फिरोजपुर सिरका
5.	हिमाच	श्री इन्द्र सिंह घई	श्री धो० पी० जैन, हिमाच श्री धन सिंह, हासी श्री कवम गिह, फतेहाबाद
6.	जीद	श्री जे० पी० शर्मा	श्री महावीर प्रकाश शर्मा, जीद श्री माधुराम जैन, नरवासा —रिक्त— सक्कीदों

क्रमांक	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी का नाम
7.	करनाल	श्री होशियार सिंह मलिक	श्री अविनाश चन्द्र, करनाल श्री बी० पी० गौतम, सोनीपत
8.	कुरुक्षेत्र	श्री ज्ञान स्वरूप शर्मा	श्री वासुदेव छावड़ा, थानेसर —रिक्त—, कैथल —रिक्त—, गृहाना
9.	महेन्द्रगढ़	श्री ओ० पी० गौतम	श्री ए० स० राधव, नारनील श्री बृजपाल सिंह, रिवाड़ी —रिक्त—, महेन्द्रगढ़
10.	रोहतक	श्री बाबूराम गृष्णा	श्री लाल चन्द्र, रोहतक श्री ए० डी० तालिब, इज्जर श्री हृदय मनिक, बहादुरगढ़
11.	सिरसा	श्री ओ० पी० बला	श्री आर० ए० मित्तल, सिरसा श्री आर० ए० बंसा, डबवाली
12.	सोनीपत	श्री बी० ए० पासी	श्री आर० जी० पाण्डे, सोनीपत श्री आत्मा राम शर्मा, गृहाना

परिशिष्ट 'ग'

वर्ष 1980-81 के श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के कुल पद कालिन और स्कूलों
के अलग-अलग।

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	पुरुष	स्त्री
1.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	28	23	5
2.	प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	2	1	1
3.	निदेशक, शिक्षा अनुभाव एवं प्रशिक्षण मंस्थान गुडगांव	प्रथम	1	1	—
4.	इन्चार्ज विज्ञान यूनिट	प्रथम	1	1	—
5.	इन्चार्ज टैक्नोलॉजी मैल	प्रथम	1	—	1
6.	इन्चार्ज रोबोटिक्स अनुभाग	प्रथम	1	—	1
7.	प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विज्ञान	द्वितीय	77	55	22
8.	प्राचार्य जे 0 बी 0 टी 0 स्कूल	द्वितीय			
9.	वाराण्डि निषेपन	द्वितीय	3	2	1
				(पद रिक्त)	
10.	विज्ञान प्रशासकी	द्वितीय	1	1	—
				(रिक्त)	
11.	मूल्यांकन अधिकारी	द्वितीय	1	—	1

क्रमांक	पद का नाम	वर्ष	कुल संख्या	प्रथम	स्त्री
12.	परामर्श दाता	द्वितीय	1	1	--
13.	प्राध्यापक	द्वितीय	1193	895	298
14.	उप जिला शिक्षा अधिकारी/ उपमंडल शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	44 (10 रिक्त) (10 रिक्त)	34	--
15.	जिला शिक्षा अधिकारी	प्रथम	12	11	1
16.	तकनीक प्राध्यापक	द्वितीय	1	1	--
17.	राज्य प्रस्तकाध्यक्ष	द्वितीय	1	1	--
18.	जिला प्रीह शिक्षा अधिकारी	प्रथम	12 (2 रिक्त)	6	4
19.	परियोजना अधिकारी	द्वितीय	12 (3 रिक्त)	7	2
20.	इन्वार्ज टैक्सोलोजी सेल	प्रथम NIEPA DC	--	--	1
21.	इन्वार्ज मेवाकालीन अनुभाग			--	1

National Systems Unit
National Institute of Educational
Technology, Sector 10, Chandigarh - 160014

Date : 4/12/08
Ref. No. : 414P62